

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- पांवेरा

प्रकरण संख्या:- 258/25

दिनांक:- 3/10/25

उनवान

श्री सतीशचन्द्र पुत्र
श्री. कोतीलाल

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दिस्तावेज, पटवारी हल्का पांवेरा भू. अ. नि. पांवेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम पांवेरा प. 0 ह. 0 पांवेरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 383 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	माउ कश्युह	सतीशचन्द्र पुत्र कोतीलाल	सतीशचन्द्र पुत्र कोतीलाल (शेख 0 दरमदर का बरवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स. 0 मा. 0)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स. 0 मा. 0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री सतीशचन्द्र पुत्र कोतीलाल

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स. 0 मा. 0)

